न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 135 सन 2024

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र कालुराम जाति मेधवाल निवपासी नोहर नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 02/05/2025

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक भूमि स्थित है जिसके चेतराम, सावरमल पि0 ख्यालीराम बहिब 1/3 हिस्सा , रामलाल , मोहनलाल पि0 कालुराम बहिब 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज थे।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक भूमि के खातेदारों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया एव खाता विभाजन के बाद मोहलाल पुत्र कालुराम के हिस्से में 46/2/1/4 की 1.2230हैक , सावरमल पुत्र ख्यालीराम को खसरा न0 46/2/1/2 की 0.611हैक भूमि चेतराम पुत्र ख्यालीराम के खसरा न0 46/1/1 की 0.611हैक भूमि हिस्से में आई थी।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 31/33 की 1.2230हैक भूमि वादी के खातेदारी काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया वादी की भूमि नहर के उतर दिशा में 0.08 बिश्वा खातेदारी थी परन्तु नक्शा तैयार करते सहमय 0.08 बिश्वा भूमि वादी के खाते में दर्ज नही की गई जिसे माननीय न्यायालय से घोषणा करवाकर दुरूस्त /संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को काफी बार वादी की खातेदारी भूमि खाता विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का निवेदन किया किन्तु इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अत5 वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 31/33 की दक्षिण दिशा में 0.08बिश्वा भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादी का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी का जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया की पटवारी हल्का [illegible] है तथा वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद [illegible] फरमावे जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 4.1100हैक् भूमि स्थित है जिसके चेतराम, सावरमल पि0 ख्यालीराम बहिब 1/3 हिस्सा, रामलाल, मोहनलाल पि0 कालुराम बहिब 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज थे।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक् भूमि के खातेदारों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवा लिया एव खाता विभाजन के बाद मोहलाल पुत्र कालुराम के हिस्से में 46/2/1/4 की 1.2230हैक्, सावरमल पुत्र ख्यालीराम को खसरा न0 46/2/1/2 की 0.611हैक् भूमि चेतराम पुत्र ख्यालीराम के खसरा न0 46/1/1 की 0.611हैक् भूमि हिस्से में आई थी।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 31/33 की 1.2230हैक् भूमि वादी के खातेदारी काश्तकार के रूप में राजस्व रिकार्ड में तो सही तौर से दर्ज कर दिया किन्तु नहर के दुसरी तरफ की भूमि को आराजीराज दर्ज कर दिया जबकि वादी की 0.08बिश्वा भूमि नहर के उतर दिशा में भी स्थित थी जिसे अन्य भूमि के साथ अराजीराज दर्ज कर दिया जबकि वादी का खाता विभाजन उपरान्त नहर के दोनो तरफ भूमि प्राप्त हुई थी जो नजरीय नक्शा से पूर्णत्या साबित है वादी की भूमि नहर के उतर दिशा में 0.08 बिश्वा खातेदारी थी परन्तु नक्शा तैयार करते सहमय 0.08 बिश्वा भूमि वादी के खाते में दर्ज नही की गई जिसे माननीय न्यायालय से घोषणा करवाकर दुरूस्त /संशोधन करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपने जबाब/मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट एव वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक् भूमि पूर्व में चेतराम सावरमल पि0 ख्यायीराम बहिब 1/3 हिस्सा व रामलाल, मोहनलाल पि0 कालूराम बहिब 2/3 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जो प्रस्तुत जमाबन्दी रोही मोजा चक सरदारपुरा से साबित है।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक् भूमि जो पूर्व में मुश्तरका खाते में काश्तकारो के नाम से दर्ज थी का काश्तकारों ने तहसीलदार से आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन करवा लिया गया था जो तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 27.01.2010 से पूर्णत्या स्पष्ट है।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 46/2 की 4.110हैक् भूमि का तहसीलदार नोहर के आदेश दिनांक 27.01.2010 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 598 सही तौर से दर्ज कर दिया गया जो नामान्तकरण की प्रति से स्पष्ट है।

वादी का कथन है उक्त खाता विभाजन में वादी को खाता विभाजन उपरान्त खसरा न0 46/2/1/4 की 1.223हैक् भूमि प्राप्त हुई थी जो मौका पर नहर के दोनो तरफ स्थित थी किन्तु नामान्तकरण संख्या 598 दर्ज तो सही तौर किया गया किन्तु नक्शा में तरमीम नहर के उतर की तरफ ही की गई है जबकि वादी की भूमि नहर के दोनो तरफ थी वादी का कथन मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार सही प्रतीत होता है।

पटवारी हल्का के मौका रिपोर्ट एव नजरीय नक्शा के अनुसार तहसीलदार नोहर के खाता विभाजन आदेश दिनांक 27.01.2010 में वादी का रकबा एक साथ लिखा गया था नजरीय नक्शा में वादी की भूमि नहर के दोनो तरफ दर्शाई गई है नहर के एक तरफ उतरी दिशा की भूमि तो सही तौर से वादी के हिस्सा के नक्शा में तरमीम कर दी गई किन्तु दक्षिण तरफ की भूमि वादी के नक्शा में तरमीम नही की गई है।

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट [illegible] तहसीलदार नोहर भी सहमत है के अनुसार तहसीलदार खाता विभाजन [illegible] 27.01.2010 के अनुसार वादी को रोही मौजा चक सरदारपुरा के खसरा न0 46/2/[illegible]4 की 1.223हैक् भूमि प्राप्त हुई थी जो खाता विभाजन के संलग्न नक्शा के अनुसार [illegible] के उतरी दिशा व दक्षिणी दिशा में थी उतरी दिशा की भूमि को तो नक्शा /राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज कर दिया दक्षिणी दिशा की भूमि वादी के नाम दर्ज नही की गई जिसे वाद में पहले नगर पालिका नोहर के नाम व

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:11:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाद में संशोधन किया जाकर अराजीराज दर्ज कर दिया गया जबकि खाता विभाजन से पूर्व इस रकबा में अराजीराज भूमि ही नही थी जिससे स्पष्ट है कि वादी के हक हिस्सा की भूमि को खाता विभाजन आदेश/नजरीय नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे ंदर्ज ना कर अराजीराज दर्ज की गई है।

पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है ना ही तहसीलदार नोहर व पेरोकार के द्वारा पेश किया गया जिससे साबित हो सके प्रश्नगत भूमि किसके आदेश से राजस्व रिकार्ड में अराजीराज दर्ज की गई है जबकि खाता विभाजन के संलग्न नक्शा से स्पष्ट है कि 46/2/1/4 जो वर्तमान में खात संख्या 232/232 में खसरा न0 290/46 की 0.0630हैक के रूप में अराजीराज दर्ज है जो वादी के हक हिस्सा की भूमि है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2 की 4.1100हैक भूमि स्थित है जिसके चेतराम, सावरमल पि0 ख्यालीराम बहिब 1/3 हिस्सा , रामलाल , मोहनलाल पि0 कालुराम बहिब 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाता में दर्ज थे।

रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 34/29 के खसरा न0 46/2 की 4. 1100हैक भूमि के खातेदारों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन के बाद मोहलाल पुत्र कालुराम के हिस्से में 46/2/1/4 की 1.2230हैक , सावरमल पुत्र ख्यालीराम को खसरा न0 46/2/1/2 की 0.611हैक भूमि चेतराम पुत्र ख्यालीराम के खसरा न0 46/1/1 की 0.611हैक भूमि हिस्से में आई थी

पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट , खाता विभाजन आदेश के संलग्न नजरीय नक्शा के अनुसार वादी को नहर के उतरी दिशा व दक्षिण दिशा में कुल 1.223हैक भूमि प्राप्त हुई थी खाता विभाजन आदेश में अलग अलग नही दर्शान के कारण वादी को नहर के उतरी दिशा की भूमि तो सही तौर से दर्ज कर दी वादी के हिस्से की दक्षिण हिस्सा की भूमि को वादी के नाम दर्ज /नक्शा में तरमीम नही किया गया जिससे वादी के नाम उतरी दिशा की भूमि तो वादी के सही तौर से दर्ज चली आ रही है दक्षिण दिशा की भूमि वादी के नाम दर्ज/तरमीम नही हुई किन्तु कब्जा काश्त में वादी के ही चली आ रही है सहवन से राजस्व रिकार्ड मे ंदक्षिण दिशा की भूमि जो खाता विभाजन उपरान्त वाद को प्राप्त हुई थी अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी के हक हिस्सा की भूमि पूर्व में अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका के नाम दर्ज कर दी तत्पश्चात आराजी राज दर्ज कर दी जबकि खाता विभाजन से पूर्व इस खसरा में अराजीराज भूमि उपलब्ध ही नही थी ना ही ऐसा कोई आदेश पत्रावली में उपलब्ध है जिससे यह साबित हो की उक्त खसरा की भूमि को अराजीराज दर्ज करने के आदेश पारित किये गये हो

राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि अराजीराज दर्ज है जिसको आवंटन या किसी प्रकार के खातेदारी अधिकारी दिये जाने की कार्यवाही नही की जा रही है केवल राजस्व रिकार्ड मे ंवादी के हक हिस्सा की भूमि खाता विभाजन उपरान्त सहवन से अराजीराज दर्ज हो गई को पुनः वादी के हक हिस्सा के अनुसार वादी के नाम दर्ज किया जा रहा है।

अतः वाद का वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 232/232 के खसरा न0 290/46 की 0.063हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से [illegible] जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:11:10 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मोहनलाल पुत्र कालुराम जाति मेधवाल निवासी नेाहर नोहर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 275 सन 2024 निर्णय दिनांक– 02/05/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक सरदारपुरा के खाता संख्या 232/232 के खसरा न0 290/46 की 0.063हैक भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर जमाबन्दी संशोधन की जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.05.13 19:11:10 IST
Reason: SelfAttested